



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 90-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MAY 28, 2018 (JYAISTHA 7, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मई, 2018

संख्या 56/जी०एस०टी०-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 38/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 38/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	पूर्ति का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।